# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 224/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 12.06.2026

**प्रेस नोट, दिनांक : 12.06.2026**
**थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़**

## साइबर क्राइम टीम की तत्परता से साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति को 37,475 रुपये वापस मिले

थाना अहरौला क्षेत्र के निवासी प्रवीण कुमार पुत्र रामपरित, निवासी फतेहपुर, जनपद आजमगढ़, दिनांक 27.12.2025 को साइबर ठगी का शिकार हो गए थे। साइबर अपराधियों द्वारा उनके खाते से 37,475 रुपये की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली गई थी।

घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना अहरौला की साइबर टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए ठगी गई धनराशि को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया तथा मा0 न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पूरी धनराशि 37,475 रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित ने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं थाना अहरौला की साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।

**साइबल हेल्प डेस्क टीम-** उ0नि0 नितेश कुमार चौबे, का0 अभिषेक मौर्या, रि0आ0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

**प्रेस नोट, दिनांक 12.06.2026**
**थाना-तहबरपुर जनपद आजमगढ़।**

## गौ-तस्करी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई – गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

## संगठित गौ-तस्करी गिरोह पर शिकंजा – अमेठी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना**– दिनांक 15.04.2025 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह मय हमराह को क्षेत्रभ्रमण के दौरान सूचना मिली कि ट्रक नं0 UP63 T8818 में पशु तस्करी कराया जा रहा है। इस सूचना पर मय पुलिस बल द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे किमी 225.5 पर गौ-वंश से लदे ट्रक को रोका गया परन्तु उसमें बैठे व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने निकले, ट्रक से 20 राशि जिन्दा पशुओं को बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-80/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम बनाम 1. रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2. आविद पुत्र स्व0 आसिक अली निवासी ग्राम तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी के पंजीकृत किया गया व ट्रक नं0 UP 63T 8818 को अन्तर्गत धारा 207 MV Act सीज किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1- अखिलेश कुमार पुत्र सुदामा निवासी ग्राम ताहिरपुर थाना करौंदी कला जनपद सुल्तानपुर का नाम प्रकाश में आया।

अभियुक्त रोहित यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौराना गिरफ्तार किया गया था।

उपरोक्त गिरोह ने अपराधिक कृत करके आर्थिक भौतिक दुनियादी लाभ पाने के लिए अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न/सामान्य जन जीवन अस्त- व्यस्त किया है। इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तरीय है गिरोह के भय

व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज/गवाही देने की हिम्मत नही कर पाता है। अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार कर दिनांक 21.01.2026 को थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट प्रेषित किया गया जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-91/2026 धारा- 2(b)(xvii),3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1. रोहित यादव पुत्र बहादुर यादव ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर 2. आविद पुत्र आसिक अली ग्राम तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी 3. अखिलेश कुमार पुत्र सुदामा यादव ग्राम ताहिरपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 12.06.2026 को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** के निर्देश में वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकमदा उपोरक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आविद पुत्र आसिक अली ग्राम तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी को बनहरा पुलिया बहद ग्राम बनहरा से समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त**- आविद पुत्र आसिक अली ग्राम तेतारपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

**पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0- 91/2026 धारा- 2(b)(xvii),3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986।

**आपराधिक इतिहास**-

1. मु0अ0सं0 80/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 109/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**-

1. उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 दिनेश कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 जितेन्द्र यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

**प्रेस नोट, दिनांक : 12.06.2026**
**थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़**

## शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

### थाना महराजगंज पुलिस की तत्पर से दबोचा गया आरोपी

दिनांक 09.06.2026 को थाना महराजगंज क्षेत्र की एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र कैलाश राम निवासी देवारा त्रिपुरारपुर आइमा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया तथा महिला द्वारा विवाह के लिए कहने पर अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा गाली-गलौज कर मारपीट की गई। जिसके आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 135/2026 धारा 3(5), 69, 115(2), 352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2026 को उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज कुमार को मनोगा का पुरा तिराहा से समय करीब 06:30 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

**सूरज कुमार पुत्र कैलाश राम,** निवासी – देवारा त्रिपुरारपुर आइमा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 25 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 135/2026 धारा- 3(5), 64(1), 115(2), 352 बीएनएस थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 अखिलेश यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

**अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी**

जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों को न्यायालय तक पहुंचाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

**प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 12.06.2026**
**थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़**

**अन्तर्जनपदीय गोवध गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगेस्टर एक्ट में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

**अवैध गोवध और मांस बिक्री गिरोह पर आजमगढ़ पुलिस का शिकंजा**

**गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई: नसीरपुर गिरोह के सक्रिय 02 सदस्य गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 14.06.2024 को तत्कालिन थानाध्यक्ष विनय कुमार सिह मय हमराह, उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह, उ0नि0 संजय उपाध्याय मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान नसीरपुर चौराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि ग्राम नसीरपुर में गैंग लीडर परवेज के हाता मे काफी मात्रा मे गोवंशी पशुओ को लाकर रखा गया है तथा जिसे कुछ व्यक्ति मिलकर वध करके उनकी मांस की बिक्री करने के फिराक मे है। इस सूचना पर मय पुलिस बल द्वारा उक्त स्थान से 03 व्यक्तियों को गिराफ्तार किया गया जिनके पास से 05 चापड़, 02 छूरी, 04 लकड़ी के ठीहा, 32 राशि प्रतिबन्धित पश बरामद हुए जिसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी व बरामदगी की आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 213/2024 अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1.तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद 2.वासिक शेख पुत्र औरंगजेब निवासीगण नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3.हाजिम खान पुत्र अशहद अली निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 4.सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद 5.मुन्ना कुरैशी उर्फ नूरआलम पुत्र पल्टू उर्फ शमशाद 6.खालिद पुत्र शमीम 7.ताहिर पुत्र हसन रजा 8.जमालु उर्फ जमालुद्दीन पुत्र अबरार 9.नईम पुत्र भुंवर उर्फ अली रजा 10.अली असगर पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 11.तालिब उर्फ अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 12.परवेज पुत्र अब्दुल हमीद 13.अबुशाद पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 14.जावेद पुत्र स्व0 नेसार अहमद उर्फ निसार 15.तारिक पुत्र अलीशाद उर्फ इरशाद उर्फ लूजा16.मु0 शाहिद पुत्र अलीशाह निवासीगण नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ 17.शत्रुधन यादव उर्फ डबलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी पतोई दफलपुरा बेलथरा रोड जनपद बलिया के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा गया था।

उक्त गिरोह ने आपराधिक कृत्य द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न व सामन्य जन जीवन अस्त-व्यस्त किया हैं, इस गिरोह की सक्रियता जिला स्तरीय हैं। गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज/गवाही देने की हिम्मत नही कर पाता हैं। जिस कारण उक्त गिरोह के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाया जाना अतिआवश्यक है।

जिसके क्रम में थाना प्रभारी बिलरियागंज के द्वारा गैंगचार्ट तैयार कराकर प्रेषित किया गया था । जिसे श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को अनुमोदित किया गया है । अतः उपरोक्त गैंग की आपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अँकुश लगाने हेतु गैंग लीडर परवेज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ तथा उसके सह अभियुक्त/सदस्यो 1.जावेद उपरोक्त आदि 16 नफर के विरुद्ध मु0अ0सं0- 154/2026 धारा 3(1)/2(b)की उपधारा (17) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 11.06.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- मो0 तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ तथा 2- अली असगर पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गाँव नसीरपुर को समय करीब 05.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**पंजीकृत अभियोग**– मु0अ0सं0- 154/26 धारा 3(1), 2(b), (1) की उपधारा (17) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

**आपराधिक इतिहास**—

**1. अभियुक्त अली असगर पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ ।**

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 213/24 | धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 | बिलरियागंज | आजमगढ़ |
| 2. | 211/23 | 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 | बिलरियागंज | आजमगढ़ |
| 3. | 154/26 | 3(1)/2(b)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट | बिलरियागंज | आजमगढ़ |

**2. अभियुक्त तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।**

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 213/24 | 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आयुध अधि0 | बिलरियागंज | आजमगढ़ |
| 2. | 154/26 | 3(1)/2(b)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट | बिलरियागंज | आजमगढ़ |

**गिरफ्तार अभियुक्त**–

1. तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. अली असगर पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. अमित कुमार मिश्र थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
2. का0 संजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. का0 आकाश कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4. म0का0 मंशा यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

**प्रेस नोट, दिनांक : 12.06.2026**
**थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़**

## शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में

## फूलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना फूलपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोप में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।

दिनांक 10 जून 2026 को एक महिला द्वारा थाना फूलपुर पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि वह पिछले लगभग आठ वर्षों से अभियुक्त वरुण गौतम पुत्र रामअचल गौतम निवासी ग्राम टिकरिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के संपर्क में थी। अभियुक्त ने विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया, किन्तु बाद में शादी करने से इंकार कर दिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 195/2026 धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना म0उ0नि0 रानी साहू द्वारा की जा रही है।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** के निर्देशन में आज दिनांक 12 जून 2026 को म0उ0नि0 रानी साहू मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्त वरुण गौतम को जगदीशपुर पुलिया से समय करीब 06:05 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

वरुण गौतम पुत्र रामअचल गौतम, निवासी – ग्राम टिकरिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र – 28 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0- 195/2026 धारा 69 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

म0उपनिरीक्षक रानी साहू, हे0का0 राजीव यादव, रि0म0का0 अंशू गुप्ता थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

**अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी**

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

**प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 12.06.2026**
**थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़**

## पीड़िता को भगाने में सहयोग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

## ऑपरेशन वज्रपात के तहत सिधारी पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, सह अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं "ऑपरेशन वज्रपात" के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 03.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिधारी पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री को शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम निवासी गोपालपुर, पोस्ट गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 229/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं अन्य तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 65(1), 96, 61(2), 351(3) बीएनएस तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। जांच के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि हिमांशु मौर्य पुत्र हरिप्रकाश मौर्य निवासी गोपालपुर थाना गोला, जनपद गोरखपुर द्वारा मुख्य अभियुक्त को सहयोग प्रदान किया गया तथा पीड़िता को शरण देने में उसकी सक्रिय भूमिका रही।

इसी क्रम में दिनांक 12.06.2026 को उ0नि0 रंजन कुमार साव मय पुलिस टीम द्वारा मुकमदा उपोरक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हिमांशु मौर्य को समेंदा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

हिमांशु मौर्य पुत्र हरिप्रकाश मौर्य, निवासी – गोपालपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर, उम्र – लगभग 25 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0- 229/2026 धारा 137(2)/87, 65(1)/96/61(2)/351(3) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 रंजन कुमार साव, थाना सिधारी
2. का0 मृत्युञ्जय मिश्रा, थाना सिधारी
3. का0 आनन्द यादव, थाना सिधारी

**अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी**

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 12.06.2026**

**थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़**

## गोवध प्रकरण में पुलिस की बड़ी सफलता

## 06 माह से वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार, सरायमीर पुलिस ने घर पर दबिश देकर दबोचा

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गोवध निवारण अधिनियम एवं अन्य गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को थाना सरायमीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम डेमरी मकदुमपुर स्थित कब्रिस्तान के निकट गोवंश के अवशेष पड़े हुए हैं तथा कुछ गोवंशीय पशु संदिग्ध परिस्थितियों में बंधे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां गोवंश के अवशेष एवं पांच गोवंशीय पशु बरामद हुए। प्रथम दृष्टया मामला अवैध गोवध से संबंधित प्रतीत होने पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 481/2025 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 35/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 3/25 आयुध अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** के निर्देशन में चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2026 को अपराध निरीक्षक पंकज कुमार शुक्ला मय पुलिस टीम द्वारा ग्राम शेरवां में दबिश दी गई। इस दौरान मुकदमे में वांछित अभियुक्त **मन्नान पुत्र मिट्ठन** को उसके घर से समय करीब 09:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

मन्नान पुत्र मिठ्ठन, निवासी – ग्राम शेरवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0- 481/2025, धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 35/2026, धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- अपराध निरीक्षक पंकज कुमार शुक्ला
- उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव
- का0 अंकुर सिंह
- म0आ0 संजू सिंह
- रि0आ0 विक्रमादित्य मौर्य
- रि0आ0 विशाल सिंह
- म0आ0 सेफाली शाहू

**अवैध गोवध एवं संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान जारी**

जनपद आजमगढ़ पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में शामिल प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 12.06.2026**
**थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़**

## महिला की मृत्यु के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

### कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोचा गया

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। महिला की मृत्यु से संबंधित प्रकरण में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

**घटना का विवरण-**

दिनांक 10.06.2026 को वादिनी मुकदमा सुषमा पत्नी सच्चन निवासी पठखौली, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसकी माता प्यारी देवी, जो घरेलू कार्य करती थीं, को पड़ोस में रहने वाले वीरभान उर्फ बृजभान पुत्र मेवालाल द्वारा आए दिन परेशान किया जाता था।

दिनांक 10.06.2026 को समय लगभग 05:00 बजे शाम को मृतका को चिढ़ाया गया, दौड़ाकर धक्का दिया गया, जिससे वह गिर गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-304/2026 धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.06.2026 को उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त वीरभान उर्फ बृजभान को ग्राम पठखौली क्षेत्र से समय करीब 06:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

बृजभान भारती उर्फ वीरभान पुत्र मेवालाल, निवासी – नई बस्ती पठखौली, ज्ञानोदय कॉलोनी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 30 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0- 304/2026 धारा 105 बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति
- का0 सुमित कुमार निषाद
- रि0का0 सचिन कुमार
- का0 जितेन्द्र कुमार

**कानून व्यवस्था के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता**

जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसे गंभीर मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई निरंतर जारी है।

**प्रेस नोट, दिनांक 12.06.2026**

**थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़**

## पानी के विवाद में जानलेवा हमला: 7 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद – मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

थाना मुबारकपुर पुलिस ने पानी के विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 03 पुरुष एवं 04 महिला अभियुक्तों सहित कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त 03 लकड़ी के डंडे एवं 01 लोहे का फावड़ा भी बरामद किया गया है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 12.06.2026 को ग्राम देवकली तारन निवासी वादी यशवंत कुमार पुत्र विंध्याचल द्वारा थाना मुबारकपुर में दी गई तहरीर के अनुसार, वह अपने घर के सामने लगे नए समरसेबल से पानी की सफाई कर रहा था। इसी दौरान शाम लगभग 5:30 बजे पड़ोसी पक्ष के गोलू, पंकज, चन्द्रमा, सुषमा, कुसुम, अनुष्का एवं पुष्पा देवी एक राय होकर लाठी-डंडा व फावड़ा लेकर मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।

विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। फावड़े से सिर पर वार किए जाने से वादी गंभीर रूप से घायल हो गया तथा खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। बीच-बचाव करने आए उसके चचेरे भाई कृष्णा कुमार को भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 221/2026, धारा 3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी-**

दिनांक 12.06.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा इब्राहिमपुर बाजार में चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गोछा पुल के पास घेराबंदी कर सभी 07 वांछित अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान महिला अभियुक्ताओं को महिला पुलिस कर्मियों की अभिरक्षा में लिया गया।

**बरामदगी-**

अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त निम्न वस्तुएं बरामद की गईं—

- 03 लकड़ी के डंडे (लगभग 1.25 से 1.5 मीटर लंबाई)
- 01 लोहे का फावड़ा (जिस पर खून के छींटे एवं मिट्टी लगी हुई)

बरामदगी के समय विधिवत वीडियोग्राफी की गई तथा सभी वस्तुओं को सील कर मालगृह में जमा कराया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. गोलू पुत्र लालूराम, उम्र 25 वर्ष
2. पंकज पुत्र लालूराम, उम्र 19 वर्ष
3. चन्द्रमा पुत्र स्व0 सिधारी, उम्र 52 वर्ष
4. सुषमा पुत्री चन्द्रमा राम, उम्र 25 वर्ष
5. कुसुम पुत्री चन्द्रमा राम, उम्र 27 वर्ष
6. अनुष्का पुत्री चन्द्रमा राम, उम्र 19 वर्ष
7. पुष्पा देवी पत्नी चन्द्रमा राम, उम्र 50 वर्ष

(सभी निवासी ग्राम देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़)

**पुलिस टीम-**

- व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव (विवेचक)
- म0उ0नि0 रूपम वर्मा
- हे0का0 सुनील कुमार सिंह
- का0 नित्यानंद सिंह
- म0का0 मनीषा भारती
- म0का0 रागिनी सिंह

सभी अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।
— **थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़**

**प्रेस नोट, दिनांक- 12.06.2026**
**थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़**

## ऑपरेशन 'वज्रपात' के तहत निजामाबाद पुलिस की सख्त कार्रवाई – इंस्टाग्राम गैंग बनाकर प्रदर्शन करने वाले 03 युवकों का चालान, अभिभावकों की मौजूदगी में हुई काउंसलिंग

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के कुशल नेतृत्व में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा **"ऑपरेशन वज्रपात"** के अंतर्गत क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

**अभियान के दौरान संज्ञान में-**

अभियान के दौरान पुलिस के संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफार्म *इंस्टाग्राम* पर "0222 गैंग" नाम से ग्रुप बनाकर उसका प्रदर्शन कर रहे हैं तथा मोटरसाइकिलों से समूह बनाकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे आमजनमानस में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बन रही थी।

**पुलिस की त्वरित कार्रवाई-**

थाना पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए ऐसे तीन युवकों को चिन्हित कर थाना परिसर में बुलाया गया। उनके अभिभावकों की उपस्थिति में सभी की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान युवकों को कानून व्यवस्था, यातायात नियमों तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

**विधिक कार्रवाई-**

चिन्हित युवकों के विरुद्ध धारा 126/135/170 बीएनएस के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की गई।

**चिन्हित युवक-**

1. सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश, उम्र लगभग 21 वर्ष
2. रविन्द्र नाथ पुत्र लहरू, उम्र लगभग 25 वर्ष
3. संदीप कुमार पुत्र लालसू राम, उम्र लगभग 22 वर्ष
   (सभी निवासी ग्राम रामपुर अबुसईद, नेवादा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़)

**अभिभावकों से अपील-**

पुलिस द्वारा उपस्थित अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें तथा उन्हें सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग एवं कानून का पालन करने हेतु प्रेरित करें।

**साइबर टीम, थाना निजामाबाद-**

- उ0नि0 दिलीप आनन्द
- का0 राकेश यादव
- का0 संदेश सिंह
- म0का0 रेनू देवी

## प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.06.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 10 दिवस) के कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 10 दिवस) के कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 22.10.2021 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री श्रीकृष्ण प्रजापति थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त राहुल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ईसापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 82/20214 धारा-272,273 भादवि व 60(1) आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 12.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त राहुल यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ईसापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 10 दिवस) के कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**प्रेस नोट, दिनांक 12.06.2026**
**थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़**

**आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार**

**आजमगढ़ में सनसनीखेज वारदात: मारपीट के बाद मौत, आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 10.06.2026 को वादिनी मुकदमा सरोज देवी W/O स्व0 अखिलेश निवासिनी भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना दीदारगंज पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 09.06.2026 की रात्रि 11.30 बजे अभियुक्तो 1. सभाजीत पुत्र रामसेवक गौतम 2. श्यामजीत पुत्र रामसेवक गौतम 3. सुनिल पुत्र रामसेवक गौतम साकिनान भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने वादिनी के पति अखिलेश को पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर जमील के खेत में अचेत अवस्था में फेक दिया जिनको उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्टिनगंज ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0- 109/26 धारा 105 बीएनएस बनाम 1. सभाजीत पुत्र रामसेवक गौतम 2. श्यामजीत पुत्र रामसेवक गौतम 3. सुनिल पुत्र रामसेवक गौतम साकिनान भादों थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
**गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा अपराध के रोकथाम के हतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2026 को उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश पुत्र त्रिभुवन उर्फ कल्लू निवासी ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को भादो अन्नपूर्णआ भवन के पीछे से समय करीब 8.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
**गिरफ्तार अभियुक्त**- अभियुक्त अवनीश पुत्र त्रिभुवन उर्फ कल्लू निवासी ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 109/26 | 105 बीएनएस | दीदारगंज | आजमगढ़ |

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**
1.चौकी प्रभारी उ0नि0 पंकज कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 प्रशान्त पाण्डेय, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 प्रवीश, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

## थाना – साइबर क्राइम, जनपद आज़मगढ़, दिनांक : 11.06.2026

## साइबर ठगी के आरोपी पर शिकंजा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

## 02 अदद मोबाइल व 7120 रू नगद बरामद

**डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़** के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन मे थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई |

## घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण

प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या **31306260042944** के क्रम में मोबाइल नंबर **8433949486** एवं **9076280045** तथा उनसे संबंधित बैंक खातों की जांच की गई। जांच के दौरान संदिग्ध **मो. आकिब पुत्र अकबर अली** निवासी वार्ड नं. 03, संतकबीरनगर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को पूछताछ हेतु साइबर क्राइम थाना बुलाकर बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं बैंक स्टेटमेंट का परीक्षण किया गया। तकनीकी विश्लेषण के दौरान अभियुक्त के मोबाइल फोन में घटना में प्रयुक्त बैंक खाता PhonePe एप्लीकेशन में लॉगिन होना पाया गया। उपलब्ध बैंक अभिलेखों, मोबाइल विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों एवं पूछताछ से अभियुक्त की साइबर धोखाधड़ी में संलिप्तता पायी गई। जो अपने साथी कुनाल त्रिपाठी उर्फ विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर घटना कारित करता था । इस प्रकार अभियुक्त द्वारा संगठित रूप से धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर उसके विरुद्ध **मु0अ0सं0 21/26 धारा 111(4), 317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस एवं धारा 66D आईटी एक्ट** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया। अब तक की जांच में लगभग 10 लाख तक का साइबर फ्राड किया जाना पाया गया है ।

## अपराध का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्त अपने साथी कुनाल त्रिपाठी उर्फ विशाल त्रिपाठी पुत्र संजय कमलापति त्रिपाठी पता- ग्राम-करौती थाना मेहनगर आजमगढ के लिए फर्जी खाते ,सिम कार्ड व क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करता है तथा उन खातों व क्रेडिट कार्ड मे पैसे मंगाने की जिम्मेदारी कुनाल त्रिपाठी उर्फ विशाल त्रिपाठी की रहती है । इन खातों व क्रेडिट कार्ड में जो भी साइबर फ्राड का पैसा आता है उन पैसो को निकालने की जिम्मेदारी अभियुक्त मो0 आकिब पुत्र अकबर अली की होती है । अभियुक्त पेट्रोल पम्प, जनसेवा केन्द्र व अन्य जगहों से क्रेडिट कार्ड व यूपीआई से पैमेन्ट देकर कैश प्राप्त कर लेता है। उस कैश को आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. मो0 आकिब पुत्र अकबर अली निवासी वार्ड नं0 03 संतकबीरनगर, थाना- मेहनगर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष

## बरामदगी-

02 अदद मोबाइल फोन
7120/- रू नगद
01 पैन कार्ड
01 आधार कार्ड

## कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

प्र0नि0 राजकुमार सिंह थाना साइबर क्राइम
उ0नि0 शिवकुमार उपाध्याय थाना साइबर क्राइम
का0 संजय कुमार
का0 सभाजीत मौर्य
का0 एजाज खान
का0 महीपाल यादव
का0 विकास कुमार